



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

(Website : www.jaipurdiscom.in Tel. & Fax No. 0141-2747036)


क्रमांक: जेपीडी/मुकाअ/उनिका(मुख्या.)/प्रे. 1745 जयपुर, दिनांक: 12-8-2017

आदेश

यह देखने में आया है कि उचित व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं कार्य संपादन के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग नहीं करने की प्रवृत्ति के कारण निगम के तकनीकी कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित किए गए ठेका श्रमिकों की विद्युत दुर्घटनाएं घटित होती है। निगम के तकनीकी कर्मचारियों की विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से आदेश क्रमांक 903 दिनांक 05.05.2014 द्वारा प्रत्येक वृत्त स्तर पर 33 के.वी. उपचौकीयों के निरीक्षण एवं तकनीकी कामगारों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये एक समिति गठित की गई है।


उक्त आदेश द्वारा वृत्त स्तर पर गठित समिति को निर्देश दिये जाते हैं कि निगम के तकनीकी कर्मचारियों के साथ-साथ विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियोजित किए गए ठेका श्रमिकों एवं E-IV कटेगरी के अन्तर्गत CLRC दर पर कार्य करने हेतु पंजीकृत आई. टी. आई. योग्यताधारी ठेकेदारों तथा उनके द्वारा नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों को भी विद्युत लाइनों एवं उपकरणों पर सुरक्षित रूप से कार्य करने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करें। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि किसी ठेकाकर्मी द्वारा सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना करना पाया जावे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को निर्देश प्रदान किए जावें। व्यावहारिक प्रशिक्षण के अभाव में होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं के लिए उक्त समिति भी उत्तरदायी होगी।

आज्ञा से,

  
(वी.पी. पारीक)

मुख्य कार्मिक अधिकारी

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर,
2. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
3. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. अधिशासी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
8. उपनिदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
9. वरि. लेखाधिकारी /लेखाधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
10. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,
12. निजी सहायक- अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

  
मुख्य कार्मिक अधिकारी

mf